कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

नगर आयुक्त
नगर निगम दरभंगा
जिला– दरभंगा

महाशय,

नगर निगम, दरभंगा के वर्ष 2014–15 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 1675 / 15–16 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

– ह० –
(विश्वम्भर कुमार)
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14577 / 155 दिनांक– 31.08.16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, दरभंगा

(विश्वम्भर कुमार)
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

नगर निगम दरभंगा
अंकेक्षण प्रतिवेदन सं.–1675/15–16

भाग –I

प्रस्तावना

1	निरीक्षित इकाई का नाम	नगर निगम, दरभंगा
2	परीक्षित लेखा की अवधि	2014–15
3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	अंकेक्षण में जांच किये गये अभिलेखों एवं पंजियों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट–1 में दर्शायी गयी है। अप्रस्तुत अथवा अपूर्ण संधारित अभिलेखों को परिशिष्ट–2 में दर्शाया गया है।
4	लेखापरीक्षा की अवधि	23.11.2015 से 09.01.2016
5	**प्रशासन**	
	महापौर	कार्यावधि
	श्री गौड़ी पासवान	1.4.2014 से 31.3.2015
	उपमहापौर	कार्यावधि
	श्री बदरूज्जमा खाँ बॉबी	1.4.2014 से 31.3.2015
	नगर आयुक्त	
	श्री परमेश्वर राम	27.06.2013 से 29.08.2014
	श्री महेन्द्र कुमार	29.08.2014 से 03.08.2015
	श्री विवेकानन्द झा (कार्यवाहक)	03.08.2015 से 24.08.2015
	श्री नागेन्द्र कुमार सिंह	24.08.2015 से अबतक
6	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	श्री प्राण रंजन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री अभय नन्दन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री अरविन्द कुमार सिंह, लेखापरीक्षक श्री अमित कुमार, लेखापरीक्षक
7	निरीक्षण अधिकारी का नाम	कोई नहीं
9	अंकेक्षण टिप्पणी	जिन अंकेक्षण आपत्तियों का निस्तारण इकाई के अंकेक्षण के दौरान नहीं हो सका, उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।
10	क्या कार्यपालक पदाधिकारी के साथ आपत्तियों पर चर्चा की गयी	हाँ, 09.01.2016 को

11 लेखापरीक्षा परिणाम

1	लेखापरीक्षा के दौरान वसूली गयी राशि	0
2	वसूली हेतु सुझायी गयी राशि	167160366
3	अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि	52739085

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट VII पर)

12. बजट प्राक्कलन

नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 82 के अनुसार प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी अथवा तत्पश्चात यथाशीघ्र बजट प्राक्कलन नगरपालिका के समक्ष पेश किया जायेगा जिसे धारा 84 के अनुसार प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक आवश्यक परिवर्तन के साथ राज्य सरकार को पेश किया जाएगा। राज्य सरकार 31 मार्च तक संबद्ध उपबंधों में परिवर्तन के साथ अथवा बिना परिवर्तन के बजट प्राक्कलन को लौटा देगी। बजट संचिका लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई । नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गई बजट प्राक्कलन के नमूना जाँच के क्रम में ज्ञात हुआ कि बजट विहित समय सीमा से काफी विलंब से राज्य सरकार को दिनांक 28.05.14 (74 दिनों की देरी) को ज्ञापांक 1046 द्वारा सरकार के उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजी गई। जॉच के कम में यह पाया गया कि वास्तविक और प्रस्तावित आय और व्यय में भारी अंतर था।

वर्ष 2014–15	प्राक्कलित आय	प्राक्कलित व्यय	वास्तविक आय	वास्तविक व्यय	आय में विचलन		व्यय में विचलन	
					राशि	%	राशि	%
नगर निगम	1814211536	1729462888	807946389	318986667	1006265147	55	1410476221	82
डी.आर.डी.ए.	18578548	3678548	12540423	3306128	6038125	33	372420	10
कुल	1832790084	1733141436	820486812	322292795	1012303272	55	1410848641	81

राज्य सरकार के निर्देशानुसार वास्तविक और प्राक्कलित बजट में 10 प्रतिशत से ज्यादा का विचलन नहीं होना चाहिए परन्तु इस निर्देश के विपरीत बजट में विचलन 55 प्रतिशत से 81 प्रतिशत तक पाया गया।

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. राज्य सरकार को विहित समय सीमा से 74 दिनों के विलंब से बजट भेजने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा बजट में परिवर्तन के साथ अथवा बिना परिवर्तन के बजट प्राक्कलन को लौटाया गया अथवा नहीं इसकी जानकारी भी लेखापरीक्षा में नहीं दी गयी।
2. प्राक्कलित और वास्तविक बजट में 10 प्रतिशत से ज्यादा का विचलन नहीं होना चाहिए परन्तु इस निर्देश के विपरीत बजट में विचलन 55 प्रतिशत से 81 प्रतिशत तक पाया गया। अत्यधिक विचलन का कारण लेखापरीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

नगर निगम द्वारा जवाब मे बताया गया कि कार्यबल के अभाव के कारण समय पर बजट राज्य सरकार को समय पर नहीं भेजी जा सकी। प्राक्कलित और वास्तविक बजट में विचलन नगर निगम के बोर्ड की सदस्यों के द्वारा किया जाता है। आगे से उपयुक्त बिन्दुओं का ध्यान रखा जाएगा।

बजट राज्य सरकार को समय पर भेजी जाय एवं बजट प्राक्कलन में अधिक से अधिक संभावित आय को समाहित की जानी चाहिए तथा उसी लक्ष्य के अनुरूप प्राप्ति की प्रयास की जानी चाहिए।

13. वित्तीय अधिदृश्य

(I) नगर निगम, दरभंगा के लेखापाल रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए प्राप्ति एवं व्यय का विवरण निम्न था:–

क्र0 सं0	विवरण	राशि
1	प्रारम्भिक शेष	460633284.70
2	प्राप्ति	
I	अनुदान	278922215
II	सूद की राशि	7527901
III	स्वयं स्रोत से आय	57641012
IV	अन्य	2796536
V	समायोजन	425441
3	वर्ष की प्राप्ति (I से V)	347313105
4	कुल प्राप्ति (1+3)	807946389.70
5	व्यय	
I	स्थापना	123680032
II	योजना एवं अन्य व्यय	195306635.40
6	कुल व्यय (I + II)	318986667.40
7	अंतशेष (4–6)	488959722.30

(क) प्राप्ति एवं व्यय का सार तैयार नहीं किया गया। साथ ही, प्राप्ति एवं व्यय का त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा भी तैयार नहीं किया गया जिसके कारण शीर्षवार प्राप्ति एवं व्यय की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी।

(ख) नगर निगम द्वारा विभिन्न मदों के लिए सहायक रोकड़बही का संधारण नहीं किया गया।

(ग) लेखापाल रोकड़ बही का अंतशेष 31.3.15 को 489045184.75 है जबकि लेखापरीक्षा में 31.03.15 को अंतशेष 488959722.30 पाया गया। अन्तर की राशि 85462.45 का समायोजन लेखापाल रोकड़बही की पृष्ठ संख्या 409 नवम्बर 2014 में किया गया है। इस समायोजन का पूर्ण ब्योरा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(घ) लेखापाल रोकड़बही के अनुसार दिनांक 31.3.2015 को निगम द्वारा पी. एल. खाता के अलावे अन्य बैंकों में कुल 43 बैंक–खाताओं का प्रचालन किया गया जिसमें 40 बचत खाता एवं 03 चालू खाता था।

229

जिसमें से एक खाता सं 6079090659, जो इंडियन बैंक का है रोकड़बही उसके अलग से संधारित किया जा रहा है जिसके प्रभारी नगर सचिव हैं जो जिला से प्राप्त एस इ सी सी के लिए संधारित किया जा रहा है।

(ड़) नगर निगम की स्वयंस्त्रोत से प्राप्त आय स्थापना मद में कुल व्यय का मात्र 46.60 प्रतिशत है अर्थात स्वयं स्रोत से प्राप्त आय स्थापना व्यय को भी पूरा करने में सक्षम नहीं है। अत नगर निगम को अपनी आय के स्त्रोत को बढ़ाने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा के उत्तर में बताया गया कि कार्यबल के अभाव में प्राप्ति एवं व्यय का सार तैयार नहीं किया गया है। साथ ही वार्षिक एवं त्रैमासिक लेखा भी तैयार नहीं किया जा सका है। वर्ष 2015–16 से विभिन्न मदों के लिए सहायक रोकड़ बही का संधारण किया जा रहा है। नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 31.08.14 को रोकड़ बही में 85462.45 की राशि का अन्तर पाया गया। अन्तर की राशि नहीं मिलने के कारण नवम्बर 2014 के ओपनिंग बैलेंस में जोड़ दिया गया। खाता सं 6079090659, इंडियन बैंक, नगर सचिव के द्वारा संधारित किया जा रहा है।

अन्तर की राशि 85462.45 कारण स्पष्ट नहीं किया गया। इसे अगले लेखापरीक्षा में स्पष्ट किया जाय। साथ ही रोकड़बही में दर्शायी गयी कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएँ एवं निगम की आय बढ़ाने के लिए प्रंभावी उपाय किए जाएँ।

13(II) वित्तीय अधिदृश्य (दरभंगा क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण)

दरभंगा क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के लेखापाल रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए प्राप्ति एवं व्यय का विवरण निम्न थाः–

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	प्रारम्भिक शेष	9779753.66
2	वर्ष के दौरान प्राप्ति	
I	राजस्व प्राप्ति	2419639
II	ब्याज	341031
III	स्थानान्तरण	–
3	वर्ष की प्राप्ति	2760670
4	कुल प्राप्ति (1+3)	12540423.66
5	I व्यय	3306128
	II स्थानान्तरण	–
6	कुल व्यय 5(i+ii)	3306128
7	अंतशेष (4–6)	9234295.66

विभित्र बैंक खातों के अनुसार 31.3.15 का अंतशेष निम्न था

कम सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	शेष
1	पंजाब नेशनल बैंक	108031100000073	1484429.00
2	इलाहाबाद बैंक	20338838847	4411044.30
3	पी0 एल0 खाता	128	1908697.35

4	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया •	461902011000140	182828.90
5	इलाहाबाद बैंक	20338837898	7687.70
6	भारतीय स्टेट बैंक	32260655816	825462.00
7	पंजाब नेशनल बैंक	108002100017493	9295.00
8	सिंडिकेट बैंक	74403070000330	9353.00
9	इलाहाबाद बैंक	20338944458	61039.60
10	इलाहाबाद बैंक	20338967408	27753.25
11	एच डी0 एफं0 सी0 बैंक	7621450000216	430711.00
12	पंजाब नेशनल बैंक	108002100022006	118946.14
			9477247.24

लेखा परीक्षा टिप्पणी

(i) बिहार नगरपालिका अधिनियम के अनुसार रोकड़ बही सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिए। परन्तु दरभंगा क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का रोकड़ बही किसी सक्षम पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं था।

(ii) प्राप्ति एवं व्यय का सार तैयार नहीं किया गया था। नियम 82 के अनुसार प्राप्ति एवं व्यय का त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा भी तैयार नहीं किया गया था जिससे शीर्षवार प्राप्ति एवं व्यय ज्ञात नहीं किया जा सका।

(iii) रोकड़ बही शेष एवं बैंक शेष के अंतर 242951.58 का समाधान विवरणी तैयार कर नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया रोकड़बही सक्षम पदाधिकारी से हस्ताक्षर करा लिया जाएगा। प्राप्ति एवं व्यय का सार एवं त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार कर लिया जाएगा। रोकड़ बही शेष एवं बैंक शेष के अन्तर का समाधान विवरणी तैयार कर लिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण में दर्शायी गयी त्रुटियों का सुधार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय ।

14. वित्तीय विवरण तथा तुलन पत्र नहीं बनाया जाना

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 88 तथा 89 में कमशः वित्तीय विवरण तथा तुलन पत्र तैयार करने का प्रावधान किया गया है। धारा 88 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर एक वित्तीय विवरण तैयार करना है जिसमें नगरपालिका लेखा के मद्दे पूर्ववर्ती वर्ष का आय– व्यय लेखा तथा प्राप्तियॉ एवं अदायगी को अंतर्विष्ट करना है। इसके अतिरिक्त धारा 89 में प्रावधान किया गया है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर पूर्ववर्ती वर्ष के लिए नगरपालिका की आस्तियों एवं दायित्वों से संबद्ध तुलन पत्र तैयार करना है।

परन्तु नगर निगम, दरभंगा द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 का वित्तीय विवरण तथा तुलन पत्र तैयार नहीं किया गया। नियमानुसार इसे तैयार कर अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

भाग –II (क)– शून्य

भाग –II ख

1. बस स्टैंड लहैरियासराय एवं राजेन्द्र मार्केट बट्टी भाग की बंदोबस्ती की विभागीय वसूली –41.50 लाख

लेखा परीक्षा में लहैरियासराय बस स्टैंड एवं राजेन्द्र मार्केट बट्टी भाग की बंदोबस्ती से संबंधित संचिका के अनुसार वर्ष 2014–15 में इन सैरातों की बंदोबस्ती नहीं की जा सकी। इसलिए इन सैरातों से विभागीय वसूली की गई।

लहेरियासराय बस स्टैंड की बंदोबस्ती की राशि वर्ष 2011–12, 12–13 एवं 13–14 के लिए कमशः 3025000, 2501100 एवं 5110000 रु थी। वर्ष 2014–15 के लिए सुरक्षित जमा राशि 4077172 रु निर्धारित की गई। उक्त सैरातों के बंदोबस्ती के लिए रखी गई आठ तिथियों में कोई भी बोली दाता (केवल एक छोड़कर जो दिनांक 25.02.14 को उपस्थित हुए) उपस्थित नहीं हुए। इस संदर्भ में दिनांक 14.10.14 को नगर आयुक्त महोदय द्वारा सुरक्षित जमा राशि कम करने हेतु मार्गदर्शन के लिए नगर एवं आवास विभाग, बिहार सरकार से अनुरोध किया गया। नगर आयुक्त महोदय ने यह बात भी रखी कि 13 लाख की वसूली की संभावना है जिसके लिए प्रतिनियुक्त आठ कर्मचारियों के वेतन पर 13.20 लाख खर्च होगा। ऐसा माना जा रहा है बंदोबस्ती की सुरक्षित जमा राशि अधिक रहने के कारण बंदोबस्ती नहीं हो पा रही है।

इसी प्रकार राजेन्द्र मार्केट बट्टी भाग के लिए भी निर्धारित आठ तिथियों में कोई भी बोली दाता उपस्थित नहीं हुए। इसके लिए नगर आयुक्त द्वारा राज्य सरकार को सूचित किया गया कि अधिक सुरक्षित जमा राशि 101500 रु रहने के कारण कोई भी बोली दाता उपस्थित नहीं हो रहे हैं। यह भी लिखा गया है कि 80000 रु वार्षिक वसूली की संभावना के विरूद्ध वसूली करने वाले कर्मचारियों के वेतन पर 7.20 लाख (60000 प्रति माह) का खर्च आ रहा है।

इस प्रकार उपरोक्त सैरात में बंदोबस्ती की राशि के हानि के अलावा अतिरिक्त व्यय 660000 रु {(1320000+720000) – (1300000+80000)} अनुमानित किया गया।

नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराये गए विवरण के अनुसार, वर्ष 2014–15 में सैरातों की बंदोबस्ती नहीं होने के कारण दो सैरातों से विभागीय वसूली की गई। लेकिन वसूली बहुत कम थी। वसूली करने वाले कर्मचारियों के वेतन पर हुए व्यय से तुलना करने पर राजस्व की हानि 4132235 (4178672 + 1512984 –1559421) प्रतीत होती है जिसकी विवरण निम्नवत है –

क सं	सैरात का नाम	अवधि	सुरक्षित जमा राशि	वसूल करने वाले कर्मचारियों के वेतन पर व्यय	सैरात से विभागीय वसूल की गई राशि	हानि 3+4–5
1	2		3	4	5	6
1.	लहेरियसराय बस स्टैंड	2014–15	4077172	1512984	1480115	4132235
2.	राजेन्द्र मार्केट बटटी भाग	2014–15	101500		79306	
	कुल		4178672	1512984	1559421	4132235

नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराये गए विवरणी से यह भी पता चलता है कि छ माह में अर्थात अप्रैल 14 से सितम्बर 14 तक विभागीय वसूली लहेरिया बस स्टैंड से 445152 रू की गई जबकि अगले छ माह में अर्थात अक्टुबर 14 से मार्च 15 तक वसूली की राशि 1034963 रू थी । इस प्रकार अचानक 232 प्रतिशत की वृद्धि अगली छमाही में दृष्टिगोचर होती हैं।

लेखा परीक्षा टिप्पणीः–

(क) जब कोई बोली दाता उपस्थित नहीं हुए तो पूर्व बंदोबस्तधारी से ही Negotiate करने का प्रयास किया गया हो तो संबंधित विवरणी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

(ख) विभागीय वसूली 1.4.14 से हो रही थी तो सुरक्षित राशि में कमी मार्गदर्शन 14.10.14 को राज्य सरकार को लिखा गया। यह पहले ही नहीं मॉगा गया।

(ग) राज्य सरकार से उक्त संदर्भ में प्राप्त मार्गदर्शन/दिशानिर्देश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

(च) उच्च अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा उक्त सैरातों की वास्तविक वसूली का स्वतंत्र मूल्यांकन लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

उपरोक्त आपत्तियों का जवाब नहीं दिया गया ।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि सैरातों की बंदोबस्ती नहीं होने एवं अपेक्षित विभागीय वसूली नहीं होने के कारण नगर निगम को 4132235 रू की हानि हुई।

2. कादिरा बाद निजी बस पड़ाव (विघटित दरभंगा क्षेत्रीय विकास प्राधिकाण)

(1) विभागीय वसूली किये जाने से हानि – 9.24 लाख

कादिरा बस निजी पड़ाव के संचिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2014–15 हेतु 5077250 रु सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण किया गया। बंदोबस्ती की प्रकिया हेतु दिनांक 15.02.14 को सूचना दी गई। यह सूचना 22.02.14 को प्रकाशित हुई। जिसके द्वारा दिनांक 24.02.14 एवं 25.02.14 को बोली आमंत्रित की गयी। इन तिथियों को कोई डाक वक्ता उपस्थित नहीं हुए। पुनः पत्रांक 620 दिनांक 3.3.14 का बंदोबस्ती की सूचना के तहत 19.3.14 एवं 20.3.14 को डाक की तिथि निर्धारित की गयी। लेकिन आम चुनाव के आचार संहिता लागू होने के कारण बंदोबस्ती रद्द कर दी गयी।

225

कार्यालय आदेश सं0. 78 दिनांक 2.4.14 के द्वारा विभागीय वसूली का आदेश दिया गया। विभागीय वसूली 3.4.14 से 15.07.14 तक की गयी जिसमें कुल 508390 रु की वसूली हुई। जबकि निर्धारित न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि उक्त अवधि अर्थात 103 दिनों के लिए 1432758 {(5077250÷365)×103} होता है। इस प्रकार नगर निगम दरभंगा को 924368 (1432758 – 508390) रु की हानि हुई।

लेखा परीक्षा टिप्पणी

(1) बंदोबस्ती की प्रकिया आचार संहिता लगने के कारण पूर्व से ही प्रारंभ किया जाना चाहिए था। प्रकिया पूर्व से प्रारंभ नहीं किये जाने कारण मात्र एक बार बंदोबस्ती की सूचना विज्ञापित की जा सकी।

(2) नगर निगम द्वारा वसूली पर्यवेक्षण हेतु कर्मचारी/अधिकारी की नियुक्ति एवं उनका प्रतिवेदन जो पर्यवेक्षण से संबंधित समय समय पर दिया गया हो, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(3) वसूली कम होने पर वसूली बढ़ाने या ध्यान देने संबंधी कार्यालय स्तर से जारी किए गए निर्देश, के संबंध में लेखापरीक्षा दल को नहीं बताया गया।

उपरोक्त आपत्तियों के जवाब में नगर निगम द्वारा कहा गया कि बंदोबस्ती की प्रकिया विगत वर्ष की अंतिम माह में प्राय की जाती है। कादिराबाद निजी बस पडाव की बंदोबस्ती 2014–15 हेतु फरवरी 2014 में सूचना प्रकाशित की गई। आचार संहिता के बाद दो बार दो दो दिनों के लिए विज्ञापित किया गया था। वसूली के पर्यवेक्षण संबंधित कोई जवाब नहीं दिया गया।

स्पष्टतः बंदोबस्ती की प्रकिया में आगामी चुनाव को देखते हुए ससमय सकियता दिखाते हुए प्रकिया शुरू की जाती एवं विभागीय वसूली का पर्यवेक्षण सही प्रकार से किया जाता तो 924368 रू की हानि से बचा जा सकता था।

(ii) कैदराबाद निजी बस पड़ाव की बंदोबस्ती में अनियमितता– 18.29 लाख

चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद इस सैरात की बंदोबस्ती हेतु दिनांक 26.05.2014 एवं 23.06.2014 को सूचना दी गई जिसका समाचार पत्र में प्रकाशन क्रमशः 6.6.14 एवं 4.7.14 को हुआ एवं डाक के लिए निर्धारित तिथि क्रमशः 16.6.14,19.6.14 एवं 12.7.14,15.7.14 थी। दिनांक 15.07.14 को दो डाक वक्ता उपस्थित हुए। डाक की बोली 15 लाख रु से शरू की गई जबकि विज्ञापन में प्रकाशित सुरक्षित जमा राशि 5077250 रु थी। 25 लाख रु अधिकतम बोली लगाने वाले डाक वक्ता श्री कमलेश कुमार स्व रामछबीला राय को बंदोबस्ती दी गई। 25 लाख को 2014–15 के शेष अवधि के लिए 1774150 रु 259 दिनों के लिए समानुपाती रूप से डाक खत्म होने के बाद डाक की राशि निर्धारित किया गया जबकि सफल डाक वक्ता द्वारा इस संबंध मे न तो कोई आवेदन दिया गया और न ही इस प्रकार के शर्त्त की कोई कंडिका विज्ञापन/आम सूचना में शामिल थी। इस प्रकार यदि आनुपातिक रूप से डाक की राशि को निर्धारित करना था तो आम सूचना में स्पष्टता के साथ उल्लेख किया जाना चाहिए था जिसमें और अधिक डाकवक्ता डाक में उपस्थित हो सकता थे और नगर निगम को अधिक राजस्व प्राप्त हो सकता था। शेष अवधि के लिए आनुपातिक रूप से सुरक्षित जमा राशि 3602760 रु (5077250/365)

× 259 होता है। इस प्रकार नगर निगम को न्यूनतम 1828610 (3602760 – 1774150) रु की हानि प्रतीत होता है।

लेखापरीक्षा टिप्पणी

(1) आम सूचना में शेष अवधि से संबंधित सुरक्षित जमा राषि से संबंधित स्पष्टता नहीं दी गयी।

(2) उच्च अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा उक्त सैरात संबंधित मूल्यांकन किया गया हो तो इससे संबंधित जानकारी लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

उपरोक्त आपत्तियों के जवाब में नगर निगम द्वारा कहा गया कि वर्तमान खुले डाक में 25,00,000 से अधिक की बोली नहीं लगाई गयी। चूकि बंदोबस्ती से पूर्व विभागीय टॉल से वसूली औसतन 5000 से 6000 की दैनिक वसूली हो रही थी। इस संदर्भ में बोली लगाई गई, जिसकी स्वीकृति स्थायी समिति की बैठक 19.07.14 को दी गयी।

1500000 से बोली शुरू किए जाने से पहले उपरोक्त जवाब के अनुसार संचिका में किसी प्रकार का विश्लेषण नहीं किया गया था। अतः जवाब मान्य नहीं है।

आम सूचना में शेष अवधि से संबंधित सुरक्षित जमा राशि से संबंधित स्पष्टता नहीं देने एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त सैरात संबंधित मूल्यांकन के संदर्भ में कोई जवाब नहीं दिया गया।

विज्ञापन में सुरक्षित जमा राशि कम करने संबंधित/समानुपातिक करने संबंधित जानकारी नहीं गई। यह जानकारी दी जाती तो अधिक से अधिक डाक वक्ता बोली मे भाग लेते जिससे नगर निगम को अधिक राजस्व प्राप्त हो सकता था। अंतिम जवाब समर्पित किए जाने तक राषि 1828610 रू को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

(iii) बकाया राशि– 62.61 रू लाख

कादिराबाद निजी बस पड़ाव के संचिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस सैरात के पूर्व बंदोबस्तधारी के पास 6261595 रु बकाया है जिस संबंध में वसूली हेतू जिला नीलामपत्र पदाधिकारी दरभंगा को दिनांक 2..4.14 को बिहार एण्ड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकॉभरी एक्ट 1914 के अर्न्तगत अधियाचना भेजी गयी थी।

उपरोक्त आपत्ति के जवाब में नगर निगम द्वारा कहा गया कि पूर्व अपर समहर्ता के न्यायालय में सुनवाई के पश्चात आदेश नहीं होने पर वर्तमान अपर समहर्ता के समक्ष सुनवाई हेतु लम्बित है।

वसूली योग्य कुल राशि 6261595 की वसूली जिम्मेवार व्यक्ति से कर अगले लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

3. मुद्रांक शुल्क की वसूली की गई राशि संबंधित शीर्ष में जमा नहीं (0.53 लाख)

मुख्य सचिव, बिहार सरकार के पत्रांक 1290/नि0मु0स0 दिनांक 14.08.02 एवं सचिव सह निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना के पत्रांक 549 दिनांक 15.03.2005 के अनुसार बस पड़ाव, हाट बाजार, घाट, जलकर, मेला स्थल, बालू घाट, दुकान, होल्डिंग, मार्केटिंग सेट्से इत्यादि की बंदोबस्ती यदि एक वर्ष या

223

इससे कम की अवधि के लिए की जाती है तो बंदोबस्ती करने से पूर्व बंदोबस्ती की राशि पर 3 प्रतिशत की दर से देय मुद्रांक शुल्क के रूप में बंदोबस्ती करने वालों से लेकर उसी पर बंदोबस्ती की शर्त्ते लिखकर निर्गत की जानी चाहिए। कदिराबाद निजी बस पडाव के बंदोबस्ती से प्राप्त 3 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क की राशि 53224.50 बंदोबस्तधारी से ली गई लेकिन राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नहीं किया गया ।

क्र0 सं0	सैरात का नाम	बंदोबस्ती की राशि	3 % मुद्रांक शुल्क	भुगतान विवरण	चेक सं/तिथि	राशि
1.	कैदराबाद बस पड़ाव	1774150	53224.50	1827374	639964/11.7.14	508000
					401816/15.7.14	432300
					401898/30.09.14	443538
					401914/31.1.15	443538
					कुल	1827376

नगर निगम द्वारा आपत्ति के जवाब में कहा गया कि मुद्रांक शुल्क की वसूल की गई राशि 53225 रू राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष में शीघ्र ही जमा कर दी जाएगी।

4. विद्युत विपत्र से होल्डिंग टैक्स का समायोजन नहीं

राज्य सरकार के निर्देशानुसार विद्युत विपत्र का भुगतान करने समय विद्युत विभाग पर बकाया गृहकर समायोजित कर शेष राशि का भुगतान किया जाना है।

नगर निगम दरभंगा के विपत्र के भुगतान की संचिका के जॉच में पाया गया कि वर्ष 2014–15 में निम्न भुगतान हुए

कम सं0	दिनांक	विद्युत विपत्र की राशि डी पी एस छोड़ कर एवं भुगतान की गई राशि	अभिश्रव संख्या	मद
1.	17.10.14	160807	3125	13thFC
2.	30.12.14	3220565	4087 एंव 4088	4th FC
3.	20.02.15	5145016	4809	4th FC
		8526388		

संचिका से स्पष्ट होता है कि विद्युत विभाग पर होल्डिंग टैक्स की राशि 424870 रू बकाया थी।

बिना होल्डिंग टैक्स के समायोजन किए विद्युत विपत्र के भुगतान का कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट करने साथ ही वर्ष 2014–15 के विद्युत विभाग पर नगर निगम के होल्डिंग एवं अन्य टैक्स के बकाया की जानकारी प्रदान करने हेतु कहा गया।

उपरोक्त आपत्ति का जवाब नहीं दिया गया।

5. निर्मित दुकानों का आवंटन नहीं किये जाने के कारण 12.88 लाख की हानि

राज़ेन्द्र भवन परिसर अंतर्गत प्रशासक निवास के उत्तर पूर्व में निर्मित 28 दुकानों (8X6=48 वर्गफीट) का निर्माण कार्य अप्रैल 2008 में पूर्ण हो चुका था। नगर निगम बोर्ड की बैठक दिनांक 11.02.2009 में 7 रू प्रति वर्गफीट प्रतिमाह की दर से 336 रू मासिक तथा 45000 रू प्रीमियम राशि (वापसी योग्य नहीं) की वसूली आवंटित दुकानदारों से करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन, उक्त निर्णय को लागू नहीं किया गया। पुनः दिनांक 09.07.2011 को नगर निगम द्वारा संशोधित दर 15 रु प्रति वर्गफुट प्रतिमाह की दर से 720 रू मासिक तथा प्रीमियम राशि 45000 रू के आधार पर राशि वसूल करने का विज्ञापन प्रकाशित किया गया। परन्तु, दिनांक 15.07.2011 को वन पर्यावरण निबंधन एवं भूमि उपयोग प्रबंधन समिति की बैठक में हुए निर्णय के आधार पर दिनांक 17.07.2011 को तत्काल अगले आदेश तक आवेदन प्राप्त करने की तिथि को स्थगित कर दिया गया। इसके पश्चात् दिनांक 25.08.12 को सशक्त स्थायी समिति की बैठक में दुकान आवंटन प्रक्रिया प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया जिसके उपरान्त दिनांक 29.10.12 को अपरिहार्य कारणों से पुनः स्थगित कर दिया गया।

महापौर, नगर निंगम दरभंगा द्वारा इस संबंध में दिनांक 24.06.13 एवं 13.12.13 को आवंटन प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु नगर आयुक्त को पत्र लिखा गया, जिसके लगभग एक वर्ष पश्चात् दिनांक–07.11.2014 को आवंटन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किया गया जिसमें संशोधित दर 20 रू प्रति वर्गफुट प्रतिमाह की दर से 960 रू मासिक तथा अग्रधन प्रतिभूति अथवा जमानत की न्यूनत्तम राशि 45000 रू एवं 100000 रू (क्रमशः बी.पी.एल. एवं सामान्य वर्ग हेतु) के आधार पर राशि वसूल करने का विज्ञापन प्रकाशित किया गया।

इस आमंत्रण के विरुद्ध प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर दिनांक 01.12.14 को 12 दुकानों को आवंटित किया गया जबकि 6 दुकानों के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ एवं शेष 10 दुकानों के लिए एकल प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया। इस प्रकार अनावंटित रह गए कुल 16 दुकानों के लिए पुनः दिनांक 16.01.15 को प्रस्ताव आमंत्रण सूचना निकाली गयी। इस आमंत्रण के विरूद्ध प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर दिनांक 01.04.2015 को 15 दुकानों को आवंटित किया गया पुनः 1 दुकान के लिए 08.07.2015 को आमंत्रण सूचना निकाली गयी जिसके विरूद्ध 1.8.15, दुकान आवंटित किया गया।

लेखापरीक्षा टिप्पणी

(क) दुकान निर्माण के पश्चात् काफी लम्बे समय तक आवंटन नहीं किए जाने के कारण एवं निर्णय लेने में विलम्ब के कारण जुलाई 15 तक निम्नानुसार नगर निगम को 1245991 रू के राजस्व की हानि हुई:–

1	मई 2008 से जून 2011 तक	27 दुकान @ 7रु. × 48 वर्गफीट ×38 माह	344736
	(दुकान सं. 19 माप 44.51 वर्गफीट)	1 दुकान @ 7रु. × 44.51 वर्गफीट ×38 माह	11840
2	जूलाई 2011 से नवंबर 2014 तक	27 दुकान @ 15 रु. × 48 वर्गफीट × 41 माह	797040
		1 दुकान @ 15 रु. × 44.51 वर्गफीट ×41 माह	27374
3.	दिसंबर 14 से मार्च 15 तक	15 दुकान @ 20रु. × 48 वर्गफीट ×4 माह	57600
		1 दुकान @ 20 रु. × 44.51 वर्गफीट × 4 माह	3561
4.	अप्रैल 15 से जुलाई 15 तक	1 दुकान @ 20 रु. × 48 वर्गफीट × 4 माह	3840
			1245991

किन परिस्थितियों में दुकानों के आवंटन संबंधी निर्णय लेनें में लगभग साढ़े छह वर्ष का वक्त लगा, संचिका में स्पष्ट नहीं था।

(ख) दिनांक 07.11.14 के प्रस्ताव आमंत्रण सूचना में यह सुनिश्चित किया गया था कि दुकान आवंटन के एक सप्ताह के अन्दर 100 रु. के नन् ज्यूडीशियल स्टाम्प पर एकरारनामा प्राप्त किया जाएगा, परन्तु इसको पालन नहीं किया गया।

(ग) दुकानं सं 6 के आवंटन हेतु निकाली गई आमंत्रण सूचना के अनुपालन में श्री रामविलास मिस्त्री द्वारा 11250 रू सुरक्षित राशि जमा की गई तथा डाक के पश्चात दुकान का आवंटन श्री रामविलास मिस्त्री को ही हुआा निगम द्वारा प्राप्त उक्त सुरक्षित जमा राशि 11250 रू दिनांक 14.07.15 को निर्गत डिमांड ड्राफ्ट से प्राप्त किया गया जिसे भुगतान हेतु बैंक में अभी तक नहीं भेजा गया। इस लापरवाही से निगम को 11250 की हानि हुई।

(घ) दुकान आवंटन के बंदोबस्ती में कम जमा/नहीं जमा राशि का विवरण निम्न प्रकार है –

क सं	दुकान सं	दुकानदार का नाम जिसको दुकान आवंटित किया गया	बंदोबस्ती की राशि	जमा की राशि(सुरक्षित जमा सहित)	कम जमा / नहीं जमा राशि	अंकेक्षण के दौरान जमा की गई राशि
1.	22	प्रेमाजंली देवी	120000	25000	95000	0
2.	2	महेश कुमार महतो	100000	86250	13750	0
			220000	111250	108750	0

उपरोक्त आपत्तियो का जवाब नहीं दिया गया। अंतिम जवाब समर्पित किए जाने तक राशि 1245991 रू को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है। साथ ही लापरवाही से निगम को हुई हानि की राशि 11250 रू की वसूली संबंधित कर्मचारी से कर नगर निगम कोष जमा किया जाय। 108750 रू संबंधित दुकानदार से वसूल कर नगर निगम कोष में जमा कराया जाय।

6. मोबाईल टावर पंजीकरण/नवीकरण शुल्क की बकाया राशि – 5.16 करोड

बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 के नियम 6 के अनुसार नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत स्थापित मोबाईल टावरों से पंजीकरण शुल्क के रुप में 50000 प्रति टावर तथा वार्षिक नवीकरण शुल्क 15000 प्रति टावर प्रतिवर्ष देय है। इसके अलावा, एक ही टावर पर प्रत्येक अतिरिक्त एन्टिना के लिए 60 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क वसूलनीय है। नगर निगम द्वारा मोबाइल टावर के पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया। संबंधित संचिका भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। नगर निगम द्वारा सर्वे कर तैयार की गई विवरणी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार नगर निगम क्षेत्र में 80 मोबाइल टावर एवं उन पर स्थापित 361 अतिरिक्त एंटिना है। दिनांक 6.1.16 तक मोबाईल टावर पंजीकरण/नवीकरण शुल्क की बकाया राशि 51653000 रू है।

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. दिनांक 6.1.16 तक मोबाईल टावर पंजीकरण/नवीकरण शुल्क की बकाया राशि 51653000 रू थी। इतनी बडी राशि के बकाया होने के कारणो से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।
2. मोबाइल टावर के पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी का संधारित कर लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

उपरोक्त आपत्तियों का कोई जवाब नहीं दिया गया। मोबाइल टावर से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी संधारित कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय। मोबाइल टावर पंजीकरण/नवीकरण शुल्क की बकाया राशि 51653000 वसूल कर नगर निगम कोष में जमा कराया जाय।

7. कम जमा/नहीं जमा –

(।) प्राप्ति रसीद बुक एवं सम्पत्ति कर के लिए जमा किए गए चेक के बैंक जमा के जॉच में पाया गया कि कुल 208676 रू जमा नहीं/कम जमा किए गए जिसका विवरण इस प्रकार है –

क्र सं.	रसीद सं. एवं वसूली दिनांक	वसूली राशि	जमा की गई राशि	कम जमा /नहीं जमा	संग्रहकर्ता का नाम	मद
1	6663/3.7.14	1770	0	1770	सुनील कुमार राम	दुकान
2	6697/2.9.14	4500	0	4500	सुनील कुमार राम	दुकान
3	6698/08.09.14	16928	0	16928	सुनील कुमार राम	दुकान
4	6699/10.09.14	1854	0	1854	सुनील कुमार राम	दुकान
5	6700/10.09.14	6001	0	6001	सुनील कुमार राम	दुकान
6	32299 से 32300/23.9.14 चेक संख्या 211827	174960	0	174960		एच0 आर0
7	6643/18.3.15 चेक संख्या 627025	2663	0	2663		एच0 आर0
		208676	0	208676		

नहीं जमा/कम जमा संबंधित व्यक्तियों से वसूल कर नगर निगम निधि में जमा कराया जाय।

(।।) **नक्शा शुल्क जमा नहीं करने से हानि – 1250 रू**

नगर निगम दरभंगा के नक्शा पंजी, संबंधित चेक पंजी एवं बैंक विवरणी के जॉच में पाया गया कि नक्शा शुल्क 1250 रू का ड्राफ्ट बैंक में जमा नहीं किया गया, विवरण निम्न है –

क.सं.	नाम	बैंक	डी डी नं /तिथि	राशि
1.	सत्यनारायण दास	एस बी आई दरभंगा	657077/21.06.14	250
2.	धर्मेश झा	एस बी आई दरभंगा	893920/04.06.14	250
3.	धर्मेश झा	एस बी आई दरभंगा	893900/03.06.14	250
4.	राजेन्द्र राम	एस बी आई दरभंगा	893899/03.06.14	500
			कुल	1250

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि लापरवाही से नगर निगम को 1250 रू की हानि हुई । संबंधित व्यक्तियों से राशि वसूल कर नगर निगम कोष में जमा कराया जाय।

(।।।) प्राप्ति रसीद की जाँच के क्रम में पाया गया कि निम्नलिखित संग्रह कर्ताओं द्वारा वसूली गयी पूरी राशि नगर निगम निधि में जमा नहीं की गयी थी जिसे लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में जमा किया गया, विवरण निम्न प्रकार है –

क्र. सं.	संग्रहकर्ता का नाम	रसीद सं. एवं वसूली दिनांक	वसूली गयी राशि	जमा की गयी राशि	कम जमा/नहीं जमा राशि	अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में जमा की गयी राशि	मद
1	राजा राम	6903/04.03.15	6772	6472	300	300	दुकान
2	राजा राम	6593/06.09.14	12000	11000	1000	1000	दुकान
3	प्रदीप कुमार सिंह	14539 से 14541/ 31.03.15	59	0	59	59	रिक्शा तांगा
4	रमेश कुमार	14777 15000	3835	2098	1737	1737	रिक्शा तांगा
5	दिलीप बाड़ी	29092/11.6.15	50	10	40	40	जन्म मृत्यु
6.	दिलीप बाड़ी	29093/14.6.15	20	10	10	10	जन्म मृत्यु
7.	दिलीप बाड़ी	29347/23.6.15	20	10	10	10	जन्म मृत्यु
8.	दिलीप बाड़ो	29357/25.6.15	50	10	40	40	जन्म मृत्यु
9.	दिलीप बाड़ी	29353/25.6.15	20	10	10	10	जन्म मृत्यु
10.	सुरेंदर यादव	16.8.14 से 19.8.14	8887	8687	200	200	बस स्टैंड
11.	सुरेंदर यादव	30.08.14 से 31.08.14	4280	4080	200	200	बस स्टैंड
12.	सुरेंदर यादव	09.10.14	5000	0	5000	5000	बस स्टैंड
13.	सुरेंदर यादव	01.12..14 से 05.12.14	29078	26078	3000	3000	बस स्टैंड
14.	सुरेंदर यादव	01.09.14 से 15.09.14	3750	3600	150	150	बट्टी भाग
15.	सुरेंदर यादव	26.09.14 से 05.10.14	2500	0	2500	2500	बट्टी भाग
16.	सुरेंदर यादव	01.11.14 से 31.12.14	13720	0	13720	13720	बट्टी भाग
17.	सुरेंदर यादव	01.06.14 से 05.06.14	1230	1030	200	200	बट्टी भाग
	कुल		91271	63095	28176	28176	